कार्यालय परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास परियोजना जैजैपुर, जिला–सक्ती (छ.ग.)

आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद की पूर्ति हेतु ऑनलाईन विज्ञापन

क्रमांक/581/बा.वि.परि./स्था./नियुक्ति/2026-27 जैजैपुर, दिनांक–23.10.2026

कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना जैजैपुर, जिला सक्ती (छ.ग.) अंतर्गत सहायिका के पद रिक्त होने के कारण नियुक्ति करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाना है। उक्त पद की भर्ती हेतु इच्छुक पात्र आवेदिकाएँ (उसी ग्राम की निवासी) ई–भर्ती पोर्टल URL https://aww.e-bharti.in इस लिंक में दिनांक 26.10.2026 से 9.11.2026 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की समस्त प्रक्रिया ई–भर्ती पोर्टल के user manual में दर्शित है, जिसका उपयोग कर आवेदन किया जा सकता है। किसी भी माध्यम से ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	ग्राम का नाम	आं.बा. केन्द्र का नाम	रिक्त पद का नाम
1	2	3	4
1.	ठठारी	ठठारी 05	आंगनबाड़ी सहायिका
2.	आमगांव	आमगांव 03	
3.	भोथिया	भोथिया 05	

नियुक्ति नियमावली व निर्देश :–

1. आंगनबाड़ी सहायिका का पद पूर्णतः अस्थायी/मानसेवी होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर पर प्रति माह मानदेय भुगतान किया जावेगा।
2. आंगनबाड़ी सहायिका के पद लिए आयु सीमा 18 वर्ष से कम तथा 44 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की तिथि से की जायेगी। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली सहायिका को आयु सीमा में तीन की वर्ष छुट दी जावेगी 1 वर्ष से कम अनुभव की आवेदिका को आयु सीमा की छुट की पात्रता नहीं होगी) ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हे अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है, उन्हे दोबारा सेवा में नही लिया जावेगा। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
3. जिस ग्राम में रिक्त है, आवेदिका उसी ग्राम की स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवदेन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्न में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा :–
 (क) जिस ग्राम में रिक्त है, उस ग्राम की निवासी की अद्यतन मतदान सूची में नाम दर्ज है, उसका क्रमांक आवेदन पत्र में उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे।

 अथवा

 (ख) संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच अथवा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें ग्राम में निवासरत होने का पता स्पष्ट उल्लेख हो।

 टीप :– यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
4. आंगनबाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण रखी जायेगी। ग्रेडिंग की दशा में संबंधित संस्था के प्रधान पाठक से सत्यापित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्राप्तांक व पूर्णांक अथवा प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्यथा मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदिकाओं को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 10 अंक प्रदाय किया जावेगा।
6. गरीबी रेखा हेतु हेतु एस.ई.सी.सी 2011 की प्रभावशील सूची से स्वतः शामिल सूचकांग अथवा वचन में शामिल परिवार के सदस्य होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पर 06 अंक दिया जावेगा। इस हेतु

Scanned with OKEN Scanner

संबंधित परिवार से सदस्यता के संबंध में राशनकार्ड या अन्य प्रामाणिक दस्तावेज की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है।

7. विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को 15 अंक अतिरिक्त दिया जावेगा। इस हेतु आवेदिका को निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा :–
 (क) परित्यकता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा :–
 1) संबंधित सचिव/सरपंच द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिया गया हो, तो उसे प्रस्तुत किया जावे।

 अथवा

 2) न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश की प्रति।
 (नोटः– परित्यकता महिला के संबंध में 02 वर्ष से अधिक की ही अवधि को मान्य किया जावेगा।)
 (ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायलयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
 (ग) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त किया जा रहा है तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
8. पूर्व से कार्यरत न्यूनतम एक वर्ष की अनुभव धारण करने वाली कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिकाओं 06 अंक अतिरिक्त प्रदान किया जावेगा। तद्संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. अनुसुचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में कक्षा 8वीं तक अध्ययन करने पर 03 अंक प्रदाय किया जायेगा। तद्संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में 60 प्रतिशत अंक आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।
11. ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने संपूर्ण दस्तावेजों का मूलप्रति स्केन कर अपलोड करें।
12. आवेदिका ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने सम्पूर्ण दस्तावेजो का स्वयं भली–भाति जांच कर लेवें। बाद में अथवा दावा आपत्ति के समय अंक प्रदान करने हेतु प्रस्तुत नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगा। दावा आपत्ति में मूल आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों पर ही दावा आपत्ति स्वीकार किये जावेगें।
13. त्रुटिपूर्ण आवेदन/अस्पष्ट आवेदन होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।
14. निर्धारित समय तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना जैजैपुर
जिला–सक्ती (छ0ग0)

पृ. क्रमांक/582/बा.वि.परि./स्था./नियुक्ति/2026–27 जैजैपुर, दिनांक 23.10.2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय, जिला–सक्ती छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ प्रेशित।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–सक्ती छ0ग0 को सादर सूचनार्थ।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला–सक्ती छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित। कृपया स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार वृत्त के रूप में निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जैजैपुर, जिला सक्ती (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ। कृपया सूचना पटल पर विज्ञापन चस्पा कराते हूए प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।
5. सभापति, स्थयी समित स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास कल्याण, जनपद पंचायत जैजैपुर को सादर सूचनार्थ।
6. संबंधित पर्यवेक्षक, सेक्टर को सूचनार्थकर निदेर्शित किया जाता है कि आप ग्राम में कोटवार के माध्यम से मुनादी करवाकर मुनादी प्रमाण पत्र 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
7. संबंधित ग्राम पंचायत सपरंच, विकासखण्ड जैजैपुर को सूचनार्थ। कृपया संबंधित कोटवार से मुनादी कराने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना जैजैपुर
जिला–सक्ती (छ0ग0)

Scanned with OKEN Scanner